



← BACK



**झारखण्ड सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
 अधिकार अभिलेख

**रेयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता**

गोलक महतो वो गनपति महतो वो खुदीराम महतो, पिता - रघुनाथ महतो, 50 अंश समान, जाति- .., निवासी- व चन्द्र मोहन महतो वो काली चरन महतो वो दीन दयाल महतो, पिता - पहलान महतो, 135 अंश समान, जाति- .., निवासी- व पितम्बर महतो वो मदन प्रसाद महतो वो मुक्तेश्वर महतो वो नवीन महतो वो चुनीलाल महतो, पिता - गुलू राम महतो, 200 अंश समान, जाति- .., निवासी- व मु० तुनीया महताईन, पति - पहलान महतो, 15 अंश, जाति- .., निवासी- व मु० मखनी देवी, पति - पहलान महतो, 15 अंश समान, जाति- .., निवासी- व मु० मधवनी देवी, पति - त्रिभुवन महतो, 8 अंश, जाति- .., निवासी- व रामेश्वर महतो, पिता - हरि शंकर महतो, 200 अंश, जाति- .., निवासी- व हुव लाल महतो वो वंशीधर महतो वो गिरधारी महतो वो जलेश्वर महतो, पिता - त्रिभुवन महतो, 192 अंश समान, जाति- तेली, निवासी- पत्रालय कल्याणपुर

जिला का नाम	धनबाद	अचंल का नाम	गोविन्दपुर	हलका का नाम	हलका-03	मौजा का नाम	बड़ा जमुआ	खाता का प्रकार	रेयती
-------------	-------	-------------	------------	-------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------

खेवट नम्बर	खाता नम्बर	37	थाना का नाम	थाना नम्बर	95
------------	------------	----	-------------	------------	----

खाता नम्बर	खेसरा नम्बर	चौहांदी उत्तर 3 चौहांदी दक्खिन 4	किस्म जमीन	मिजान	कैफियत / अभ्युक्ति	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस	लगान	खास शर्त		
(1)	(2)	(3)	कियारी संख्या (5)		(8)	(9)	रौ (10)	आ (11)	पै (12)	(13)
37	382	?.. परती ?. रुपलाल	बाईद 0	0.000 एकड़	13.000 डिसमील	0=50 पचास पैसा अलावे सेस	0	0	50	
	392	?.. चंद्र मोहन ?. परती	बाईद 0	0.000 एकड़	18.000 डिसमील	0=50 पचास पैसा अलावे सेस				
	404	?.. बांध ?.. परती	:बहाल 0	0.000 एकड़	56.000 डिसमील	0=50 पचास पैसा अलावे सेस				

खाता में कुल प्लोट संख्या	3	खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार)	0.000 0.000	खाता का कुल लगान	0 0 50
---------------------------	---	--------------------------------------	-------------	------------------	--------

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

2/4/2024

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

